



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 29 जनवरी, 2025

माघ 9, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-11

संख्या 02/6-पु0-11-2025-01एम-2025

लखनऊ, 29 जनवरी, 2025

अधिसूचना

प0आ0-19

चूँकि राज्यपाल की राय है कि दिनांक 29 जनवरी, 2025 को महाकुंभ, प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान मेला क्षेत्र में हुई भगदड़ की घटना तथा उक्त घटना में कतिपय श्रद्धालुओं की मृत्यु एवं गम्भीर रूप से घायल होने की घटना के सम्बन्ध में लोकहित में जांच कराया जाना आवश्यक है।

2-अतएव, विषयवस्तु की व्यापकता तथा जाँच की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 60 सन् 1952) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्वारा निम्नलिखित तीन-सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग श्री हर्ष कुमार, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, गठित करती हैं :-

1-श्री हर्ष कुमार, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), इलाहाबाद उच्च न्यायालय-अध्यक्ष

2-श्री वी0 के0 गुप्ता, (सेवानिवृत्त, आई0पी0एस0)-सदस्य

3-श्री डी0 के0 सिंह (सेवानिवृत्त, आई0पी0एस0)-सदस्य

3-आयोग द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2025 को घटित उक्त घटना की जांच की जायेगी और जांचोपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी :-

(क) उन कारणों एवं परिस्थितियों का अभिनिश्चय करना जिसके कारण उक्त घटना घटित हुई;

(ख) भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में सुझाव देना।

4—चूँकि, राज्यपाल की यह भी राय है कि प्रश्नगत जाँच की प्रकृति और प्रकरण से सम्बन्धित अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, अतएव उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अग्रतर निर्देश देती हैं कि उक्त धारा 5 की उपधारा (2), (3), (4) एवं (5) के उपबन्ध इस आयोग पर लागू होंगे।

5—आयोग इस अधिसूचना के निर्गत होने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर जाँच पूरी करेगा। इसकी अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन राज्य सरकार के आदेश पर किया जा सकेगा।

आज्ञा से,  
संजय प्रसाद,  
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 490 राजपत्र-2025-(1266)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 40 सा0 गृह (पुलिस)-2025-(1267)-150 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।